सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, कुशीनगर

विषय: जनपद कुशीनगर में माई ओन इको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कुशीनगर–हाटा मार्ग एन0एच0–27 (पुराना एन0एच0–28) के किमी0 सं0–310 (चैनेज सं0–309.915) के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं0–2मि., 31, 3मि., व 4मि., ग्राम–छपरा भगत, तहसील–हाटा, जिला–कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.17416 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 01 वृक्ष के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–**FP/UP/Approach/157152/2022)**

सन्दर्भ: पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का पत्रांक संख्या–184/81–2–2023–800(163) 2023, दिनांक: 28.06.2023।

क्रम सं0	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव के पृष्ठ–65 पर रक्षित प्रस्तावित स्थल की फोटोग्राफ से यह प्रतीत हो रहा है कि प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट का पूर्ण निर्माण कार्य कर लिया गया है ?	प्रस्तावित पेट्रोल पम्प निर्माण का कार्य प्रयोक्ता एजेंसी के निजी भूमि में किया गया है तथा संरक्षित वन भूमि में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।
2	प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट का निर्माण यदि कर लिया गया है, तो किस दिशा–निर्देश के अनुसार किया गया है ?	प्रस्तावित पेट्रोल पम्प निर्माण का कार्य प्रयोक्ता एजेंसी के निजी भूमि में किया गया है तथा संरक्षित वन भूमि में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।
3	यह भी अवगत कराया जाय कि प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के आवागमन हेतु मांगी गयी स्वीकृति के मार्ग से ही निर्माण कार्य किया गया है अथवा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग भी है ?	प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के आवागमन हेतु मांगी गयी स्वीकृति के मार्ग का निर्माण कार्य नही किया गया है।
4	परियोजना प्रस्ताव में पूर्ण निर्माण कार्य किया गया है, तो प्रश्नगत प्रस्ताव कार्योपरान्त स्वीकृति के **(Ex-post Facto)** अन्तर्गत क्यों नहीं प्रेषित किया गया ?	परियोजना प्रस्ताव में केवल प्रयोक्ता एजेंसी के निजी भूमि पर ही निर्माण कार्य किया गया है। तथा संरक्षित वन भूमि में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है। इसलिए प्रस्ताव कार्योपरान्त स्वीकृति के **(Ex-post Facto)** अन्तर्गत प्रेषित नहीं किया गया।
5	परियोजना प्रस्ताव के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में डी0एफ0ओ0 व प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर एवं मोहर तो अंकित है, परन्तु किसी भी अधिकारी द्वारा दिनांक अंकित नहीं किया गया है ?	उक्त प्रस्ताव की टाईमलाइन इस पत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है जिसमे क्रमवार प्रस्ताव की स्थिति के दिनांक अंकित है।
6	प्रश्नगत परियोजना के पार्ट–1 में परियोजना का नाम बायो फ्यूल रिटेल आउटलेट अंकित है। किन्तु प्रस्ताव के संलग्नकों में परियोजना का नाम पेट्रोल पम्प का उल्लेख किया गया है ?	परियोजना के पार्ट–1 में परियोजना का नाम संशोधित कर पेट्रोल पम्प अंकित कर दिया गया है।

MY OWN ECO ENERGY PVT. LTD.

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

माई ओन इको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड